

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 25/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एडलवाईज असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली प्रेस, बिल्डिंग नं. ई-3, द्वितीय तल, झण्डेवाला
एस्टेट, रानी झांसी रोड, दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री रामावतार स्वर्णकार,
पता:- 186, तालाब के पास आंधी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
एवं ग्राम पंचायत आंधी, पंचायत समिति जमवारामगढ़, जयपुर।
2. श्रीमती सुनीता सोनी,
पता:- आंधी, जमवारामगढ़, जयपुर।
एवं ग्राम पंचायत आंधी, पंचायत समिति जमवारामगढ़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

1. श्री भवानी सिंह नरुका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 10.01.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वित्तीय संस्था अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.03.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रामावतार स्वर्णकार के स्वामित्व की संपत्ति संकल्प संख्या 23, पट्टा संख्या 90 दिनांकित 10.04.2005, ग्राम पंचायत आंधी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 563.66 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 22,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.06.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात् दिनांक 30.06.2022 को अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एडलवाईज असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को जरिये असाइनमेन्ट एग्रीमेन्ट ऋणी का खाता स्थानान्तरित किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 22,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 24,17,545.28/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.06.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री रामावतार स्वर्णकार के स्वामित्व की संपत्ति संकल्प संख्या 23, पट्टा संख्या 90 दिनांकित 10.04.2005, ग्राम पंचायत आंधी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 563.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



आदेश आज दिनांक 10.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर